

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

11/07/2027

प्रवेश तिथि

16-02-2017

निर्णय दिनांक

23-09-2022

01- रतीराम पुत्र छोट जाति जाट निवासी इरनियां तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर (राज0)

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- धनश्याम पुत्र मोती, जाति जाट निवासी कांकरोली लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर (राज0)

02- विजेन्द्र सिंह,

03- साहबसिंह पुत्रान मटोली, जाति जाट निवासी कांकरोली लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर (राज0)

04- शीला पुत्री दुलीचन्द पत्नि नामालूम जाति जाट निवासी निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

10- नायब तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

—: रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 21.11.1978 नामान्तकरण संख्या 34 ग्राम दयालपुरा, तहसील कठूमर जिला अलवर।

उपस्थित:-


01- श्री दाता राम गुप्ता
02- श्री दीपक मीना
03- श्री मूलचन्द चौधरी

—वकील अपीलाण्टस
— रेस्पोंडेन्टस संख्या — 5
— रेस्पोंडेन्टस संख्या 1-4

निर्णय


अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 21.11.1978 नामान्तकरण संख्या 34 ग्राम दयालपुरा, तहसील कठूमर जिला अलवर। बेजा तौर पर दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्टस उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि बोदन पुत्र देवसुख जाति जाट निवासी कांकरोली खातेदार फौत हो चुका है, जिसके कायम वारिसान में पांच पुत्र थे,


अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जिनमे से एक पुत्र कुमरपाल गोद चला गया है, तथा तीन पुत्रो ने आराजी का दाखिला अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करा लिया है। आराजी खसरा न0 66, 82, 89 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील कटूमर जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट व हिरसा बराबर के 1/4, 1/4 हिस्सेदार व काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजी अपीलान्ट के बाया बोदन पुत्र देवसुख की आराजी है, लेकिन बोदन के मरने के बाद विरासत का दाखिला खुला जिरामें अपीलान्ट के पिता छोटे को छोड दिया गया और कुमरपाल गोद चला गया एवं मोती एव दुलीचन्द वगै0 के नाम वारिसान का नाम नामान्तकरण खोला दिया। जो कि कानूनन रिकार्ड के खिलाफ है। तहत अदालत ने बिना वारिसान की जाँच किये और बिना गौका देखे व गौके पर जाँच किये बिना तीनो व्यक्तियों के नाम दाखिला खोला गया है, जो गलत है, कुवरपाल अपने पिता बोदन के जीवनकाल में ही लाडी उर्फ लडडो को गोद चला गया था, इस लिये बोदन के चार वारिसान के नाम आराजी का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था, जबकि तीन व्यक्तियों के नाम आराजी की विरासत का नामान्तकरण खोल कर कानूनी भूल की है। तहत अदालत द्वारा विरासत का नामान्तकरण खोलने से पूर्व वारिसान की सही प्रकार से जाँच करायी जानी चाहिये थी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.11.1978 की जानकारी पूर्व में नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों के लिये अपनी ससुराल में चला गया था। दिनाक 30.01.2017 को पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम दाखिला नहीं खुला है। इस बात की जानकारी प्राप्त हुयी व जानकारी कर नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 08.02.2017 को नकल प्राप्त हुयी जिस पर कानूनी सलाह ली जाकर बिना देशी किये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.डी-14.12.2008 पेश की गयी।

वकील रेस्पोंडेन्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 34 वाके ग्राम दयालपुरा, तहसील कटूमर निर्णय दिनाक 21.11.1978 में वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नहीं है, न ही साबित है, कि अपीलान्ट का पिता छोटे बोदन का पुत्र हो अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत पेश किया है। जिस कारण अपीलान्ट को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं था, अपीलान्ट को उक्त पारित नामान्तकरण की जानकारी शुरू से ही रही है। अपील में वर्णित नामान्तकरण दिनाक 21.11.1978 को स्वीकार किया गया है, क्या अपीलान्ट दिनाक 21.11.1978 से दिनाक 30.1.2017 तक ससुराल रहा है, अपीलान्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है, इस लिए उसके द्वारा जानबूझकर लगभग 39 वर्ष के बाद अपील पेश की गयी है, अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है, तो उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कानूनन जितने समय पश्चात अपील दायर की जाती है, उस दिन से प्रत्येक दिन का हवाला दिया जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्खा है, अपीलान्ट द्वारा अपील हाजा में यह दर्ज नहीं किया गया है, कि छोटे का स्वर्गवास कब हुआ है, छोटे बोदन के स्वर्गवास के पूर्व फौत हुआ है, या बाद में जिससे यह स्पष्ट है, कि अपीलान्ट गलत तथ्य जाहिर कर आराजी मुतनाजा पर कब्जा करना चाहता है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.टी-2019(1), आर.आर.टी-2021(1) 391, आर.आर. टी-2018-2019 581 पेश की गयी।


अतिरिक्त जिला क्लर्क (अध्यापक)
अलवर (राजस्थान)

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा नामान्तरण संख्या 34 वाके ग्राम दयालपुरा, तहसील कटूमर में वर्णित आराजीयात विधिवत जाँच कर विधिवत निर्णय दिनांक 21.11.1978 पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।


हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्टस/रेस्पोंडेंट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.1978 के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 16.02.2017 को पेश की गयी है, जो 39 वर्ष पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है, विलम्ब के मामले में दिन-प्रतिदिन का विवरण पेश किये जाने का प्रावधान है, अपीलान्ट द्वारा इतनी लम्बी अवधि को क्षमा करने हेतु कोई ठोस कारण भी अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये हैं, जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर विश्वास कर मियाद को क्षमा किया जा सके। जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड/अपील में वर्णित तथ्यों पर अपील का गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि बोदन पुत्र देवसुख जाति जाट निवासी काकरोली काकरोली फौत होने के बाद वारिसान में पांच पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र कुमरपाल गोद चला गया है, तथा तीन पुत्रों ने आराजी का दाखिला अपने नाम करा लिया है। बोदन के मरने के बाद विरासत का नामान्तरण खुला जिसमें अपीलान्ट के पिता छोटे का नाम छोड़ दिया गया वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत ईसरौता के पत्र दिनांक 11.02.2017 की प्रति पेश की है, जिसमें अंकित किया है, कि छोटे पुत्र बोदन जाति जाट निवासी काकरोली का निवासी था, जो कि पाँच भाई थे, जो कमशः मौती, मटोली, दुलीचन्द, कुवरपाल, छोटे बोदन के पुत्र थे, जिनमें से छोटे पुत्र बोदन अपनी ससुराल में रहने लग गया था। जिसका पुत्र रतिराम है, जो इरनीया तहसील लक्ष्मणगढ में निवास कारता है। साथ ही ग्राम इरनिया तहसील लक्ष्मणगढ की जमाबन्दी संवत् 2016-2019 की प्रति पेश की गयी है, जिसमें छोटे पुत्र बोदन जाट हाल आबाद व देह शिकमी साल 4 अंकन है। विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने कथन है, कि नामान्तरण संख्या 34 वाके ग्राम दयालपुरा, तहसील कटूमर निर्णय दिनांक 21.11.1978 में वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध वो सरकार किसी प्रकार का नहीं है। अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत है, जिस कारण अपीलान्ट को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं है, अपील में वर्णित नामान्तरण दिनांक 13.09.1976 को स्वीकार किया गया है, क्या अपीलान्ट दिनांक 21.11.1978 से दिनांक 30.1.2017 तक ससुराल रहा है, अपीलान्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है, इस लिए उसके द्वारा जानबूझकर लगभग 39 वर्ष के बाद अपील पेश की गयी है, अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है, तो उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ ग्राम इरनीया तहसील लक्ष्मणगढ की जमाबन्दी संवत् 2016-2019 पेश की गयी है, से यह साबित नहीं है, कि छोटे नाम का व्यक्ति मृतक बोदन का पुत्र है, व मृतक छोटे का पुत्र रतिराम है, व ग्राम काकरोली ग्राम का ही निवासी हो। तथा शासन सचिव ग्रामीण विकास

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अहमद (राजग)

एवं पंचायती राज विभाग का परिपत्र एफ.139 (10) निर्देश/विधि/प.रा./2021/263 दिनांक 23.09.2021 की रोशनी में ग्राम पंचायत ईसरौता के पत्र दिनांक 11.02.2017 वास्ते साक्ष्य हेतु ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है। अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत है, जिस कारण अपीलान्त को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं वकील अपीलान्तस/रेस्पोंडेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया वकील अपीलान्त द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश कर यह साबित नहीं किया गया है, कि मृतक छोटा मृतक बोदन का ही पुत्र था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तकरण संख्या 34 निर्णय दिनांक 21.11.1978 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील कठुमर यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23-09-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


23-09-2022
(अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश (प्रथम))
अति० जिला न्यायालय (राज०)
अलवर, (राज०)